प्रथम सूचना रिपोर्ट

दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्ष 2015 प्र0सु0रि0स0 08

   दिनांक 26.08.2015

2. धारा 7 पी0 सी0 एक्ट 1988

3. (क) अपराध की घटना : दिनांक 26.08.2015

   (ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 26.08.2015 समय 12:30 पी0एम0.

   (ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 06

4. सूचना का प्रकार : लिखित

5. घटनास्थलः (क) दूरी लगभग 100 कि0मी0 पूर्व दिशा छछरौली, यमुनानगर ।

6. शिकायतकर्ता / सूचनादाता

   नाम हरविन्द्र सिंह

   पिता का नाम श्री इकबाल सिंह

   राष्ट्रीयता भारतीय

   व्यवसाय व्यापारी

   पता म0न0–1764,सत्संग विहार कालौनी, छछरौली, यमुनानगर

7. ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण

   ए.एस.आई. बलराज सिंह, थाना छछरौली, जिला यमुनानगर ।

   लिंग पुरूष

   भाषा हिन्दी

8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण कोई नहीं।

सेवा मे, निरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, यमुनानगर, श्रीमान जी, निवेदन है कि मै हरविन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री इकबाल सिंह जाति जाट सिंह वासी म0न0–1764, सत्संग विहार, छछरौली जिला यमुनानगर का रहने वाला हूँ और शहर यमुनानगर मे फाईनैंस और प्रोर्पटी डीलिंग का काम करता हूँ तथा बड़ा भाई दर्शन सिंह जो मेरे साथ ही रहता है और शहर यमुनानगर मे ही गाड़ी सेल परचेज का कार्य करता है 4 दिन पहले छछरौली थाना की पुलिस ने मेरे भाई दर्शन सिंह को किसी केस मे

गिरफतार कर लिया है । जो अभी तक उनके पास रिमाण्ड पर है मै अपने भाई को मिलने और उसके केस के बारे मे पता करने के लिए थाने मे गया तो केस के ईन्चार्ज ए.एस.आई बलराज सिंह ने मेरे को कहा कि तेरे को भी केस मे फंसा दूंगा और मेरी कार सकोडा लोरा एच0आर0 1एक्स0–6327 जिस पर मै थाने मे गया था यह कार बलराज सिंह ने अपने पास थाने मे रख ली और अब कंही आस पास उसने खड़ी कर रखी है । जब मैने उससे अपनी कार मांगी तो बलराज सिंह ने कहा कि मै तेरी कार को मुकदमे मे जोड़ दूंगा यदि कार लेनी है तो 1 लाख रू0 देने होंगे मेरे बार–बार प्रार्थना करने पर व अन्त मे 20 हजार रू0 लेकर मेरी कार छोड़ने पर सहमत हुआ है । मै रिश्वत नही देना चाहता परन्तु बलराज सिंह ए.एस.आई मुझे रिश्वत देने के लिए मजबूर कर रहा है । उसने मुझे आज सवेरे 20 हजार रू0 लेकर लेने के लिए बुलाया है । मै इसे रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ । कानूनी कार्यवाही की जाये **। हस्ताः–**Harvinder Singh नाम हरविन्द्र सिंह, पिता जी का नाम इकबाल सिंह, पता म0न0 1764, सत्संग विहार कालौनी, छछरौली जिला यमुनानगर मो0न0 09034440650, 08814900062। **कार्यवाही पुलिसः–** इस समय मन निरीक्षक हाजिर दफतर हूँ श्री हरविन्द्र सिंह, पुत्र स्व0 इकबाल सिंह, वासी म0न0 1764, सतसंग विहार कालौनी, छछरौली जिला यमुनानगर ने दफतर हाजिर आकर उपरोक्त दरखास्त मन नि0 को पेश की है । जो दरखास्त से सरेदस्त जुर्म 7 पी0सी0एक्ट का सरजद होना पाया जाता है जिस पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदहस्त ई0एच0सी0 यशपाल न0 621/करनाल के अरसाल थाना है बाद कायमी मुकदमा पर्चा न0 से सूचित किया जावे और स्पैशल रिपोर्ट मुकदमा हजा बजरिया स्पैशल मैसन्जर सेवा मे ईलाका मैजीस्ट्रेट वा अफसरान बाला को भिजवाई जावे । मन निरीक्षक मय ई.ए.एस.आई रामेश्वर दास न0 58 कुरूक्षेत्र, ए.एस.आई रघुबीर सिंह न0 180 अम्बाला, एच0सी0 संजय कुमार न0 575/कुरूक्षेत्र, ई0एच0सी परमीत कुमार न0 774/अम्बाला, बा सवारी गाड़ी सरकारी न0 एच0आर0–68–8130 टाटा सूमो जीप चालक ई.एच.सी सीताराम न0 1045/अम्बाला है, मय मुदई के बराये करने पूरी औपचारिकतायें रेड रवाना उपायुक्त कार्यालय यमुनानगर का होता हूँ रेडिंग किट, तफतीशी बैग, लैपटाप हमरा लिया गया और हालात अफसरान बाला को सुचित किये गये । **हस्ताक्षरः–** सतनारायण Inspector State Vigilance Bureau,Sub-Unit. Distt. Yamuna Nagar dt 26-08-2015at: 9:15 AM. **अज SVB YNR. अज थाना**ः– मन निरीक्षक को एक लिखित तहरीर निरीक्षक उपकेन्द्र रा0चौ0ब्यूरो, यमुनानगर से बदहस्त ई0एच0सी0 यश्पाल न0 621/करनाल प्राप्त होने उपरान्त उपरोक्त लेख पर अभियोग जेरेधारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 दर्ज रजिस्टर करके नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार करके व स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजीस्ट्रेट यमुनानगर की सेवा मे व असल मिसल पुलिस मय तहरीर बदस्त आरिन्दा ई0एच0सी के निजद निरीक्षक सतनारायण उपकेन्द्र रा0चौ0ब्यूरो, यमुनानगर को बर मौका भेजी जा रही है व स्पैशल रिपोर्ट अफसरान बाला की सेवा मे बजरिया डाक भेजी जा रही है ।

हस्ताक्षर

निरीक्षक सुरेश कुमार न0 191/एच0ए0पी0
थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला।